उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-48/2020/एस-2-1337/दस-2020-88क(13)/2017टी0सी0-।।।

लखनऊ :: दिनॉक: 23 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह, वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को उनके अपने कार्य के साथ-साथ वित्त अधिकारी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(विद्या कुमार)

अनु सचिव।

<u>संख्या-48/2020/एस-2-1337(1)/दस-2020, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- कुलपति, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3- कुलपति, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ।
4- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा/अलीगढ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।